

सेबी का एमएफ ओनली पीएमएस मॉडल

पंजीकृत सलाहकार और वितरक कर रहे आफ़लन

अभिषेक कुमार
मुंबई, 25 सितंबर

म्युचुअल फंड (एमएफ) वितरक और पंजीकृत निवेश सलाहकार (आरआईए) हाल में सेबी से मंजूर सिर्फ़ एमएफ वाले पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस (पीएमएस) मॉडल का आकलन कर रहे हैं। साथ ही वे इस ढांचे के बारे में ज्यादा स्पष्ट जानकारी के लिए अंतिम नियमों का भी इंतज़ार कर रहे हैं। बाजार नियामक सेबी ने गुरुवार को म्युचुअल फंड यूनिटों में निवेश के लिए पोर्टफोलियो मैनेजर्स रूट फॉर इन्वेस्टिंग इन म्युचुअल फंड यूनिट्स (ग्रिम) को मंजूरी दी। इससे पीएमएस कंपनियों को क्लाइंटों के पैसों को म्युचुअल फंडों की प्रत्यक्ष योजनाओं और स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड (एसआईएफ) में निवेश करने की इजाजत मिलेगी। विशेषज्ञों का कहना है कि कम से कम 25 लाख रुपये के निवेश वाले इस नए ढांचे से फंड वितरण या सलाहकार सेवाओं में लगे लोगों, चाहे वे वितरक हों, आरआईए हों या शोध विश्लेषक, के लिए कारोबार का एक नया मॉडल खुल सकता है।

हाल के वर्षों में डिजिटल और कैपिटलमाइंड जैसी कई कंपनियां, और प्राइमइन्वेस्टर जैसी नई कंपनियां, क्लाइंटों के लिए फंड योजनाओं के पोर्टफोलियो बनाने और उनका प्रबंध करने के लिए पीएमएस ढांचे का इस्तेमाल कर रही हैं। समर्पित व्यवस्था होने से यह मॉडल और आकर्षक बन सकता है क्योंकि इससे निवेश का आकार, नेट वर्थ और दूसरी नियामकीय अनिवार्यताओं से जुड़ी रुकावटें कम हो सकती हैं। इससे मौजूदा पीएमएस कंपनियों के साथ-साथ आरआईए, आरए और बड़े फंड वितरकों की भी दिलचस्पी बढ़ सकती है।

जीनकॉफ के लिए यह मॉडल आरआईए के लिए खास तौर पर फायदेमंद है,

स्थिरता के साथ बढ़त

एमएफ आधारित पीएमएस कंपनियों की बढ़ती संख्या और पीएमएस मैनेजर्स द्वारा चुनिंदा परिसंपत्ति वर्ग, इंडेक्स या रणनीतिक निवेश के लिए एमएफ का ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से पीएमएस अब एमएफ परिसंपत्तियों का एक अहम जरिया बन गए हैं

महीना	पीएमएस लिक्विड एमएफ एयूम (करोड़ रु.)
जुलाई 2025	85,806
अगस्त 2025	85,624
सितम्बर 2025	88,176
अक्टूबर 2025	87,117
नवंबर 2025	87,319
दिसंबर 2025	90,728
जनवरी 2026	92,043
फ़रवरी 2026	92,965
मार्च 2025	89,943
अप्रैल 2026	92,854
मई 2026	98,592
जून 2026	99,747
जुलाई 2026	99,479
स्रोत : एम्फी	

क्योंकि इसमें प्रदर्शन दिखने की गुंजाइश होती है और ग्राहकों के लंबे समय तक जुड़े रहने की संभावना भी ज्यादा है। इंटरनेशनल मनी मैटर्स में वरिष्ठ उपाध्यक्ष (शोध) राहुल जैन ने कहा, ऊपर से देखने पर यह मॉडल आरआईए के लिए कई वजहों से सही लगता है। पहला, इससे

अनुपालन और नेटवर्क की अनिवार्यताएं कम हो जाती हैं, जबकि 25 लाख रुपये का टिकट साइज़ लक्षित बाजार को बड़ा बनाता है। इससे भी अहम बात यह कि इससे हमें अपना असल प्रदर्शन दिखाने का मौका मिलेगा।

आरआईए ढांचे के उलट, पीएमएस में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के मामले में ज्यादा आजादी है और साथ ही प्रदर्शन का ट्रैक रिकॉर्ड बनाने और उसे बताने का मौका भी देता है। परिसंपत्ति और वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस में निवेशक प्रदर्शन को ही मुख्य पैमाना मानते हैं और आखिर में, इसी से तय होता है कि किसे ज्यादा बिजनेस मिलेगा।

फिड्यूसरीज डॉट इन के आरआईए अविनाश लुथरिया ने कहा, एडवाइजरी मॉडल के उलट, जिसमें क्लाइंट्स को आरआईए की सलाह पर खुद अमल करना पड़ता है, पीएमएस ढांचे में मैनेजर क्लाइंटों की तरफ से लेनदेन कर सकता है। इससे रिश्ता ज्यादा सहज और बेहतर हो सकता है और क्लाइंटों के छोड़कर जाने का जोखिम भी कम हो सकता है।

प्राइमइन्वेस्टर में सह-संस्थापक श्रीकांत मीनाक्षी ने कहा कि एमएफ-पीएमएस की ओर बढ़ना, फंड सलाह से जुड़े कई लोगों के लिए स्वाभाविक कदम है। हालांकि, वितरक इस पर कोई फैसला लेने से पहले और स्पष्टता का इंतज़ार कर रहे हैं कि इसे अपनाना सही रहेगा या नहीं।

मुंबई के एक वितरक ने कहा, यह असल में इस बात पर निर्भर करेगा कि हमें पीएमएस के साथ-साथ वितरण जारी रखने की इजाजत मिलती है या नहीं। हमने कई सालों में अपना वितरण कारोबार खड़ा किया है और हमारा एयूएम आधार काफी बड़ा है। इसलिए इसे छोड़कर नए सिरे से पीएमएस बिजनेस शुरू करना बड़ा फैसला होगा। अगर वितरण की इजाजत नहीं मिलती है तो पीएमएस में जाने का मतलब यह हो सकता है कि हम बड़ी संख्या में ऐसे क्लाइंटों को गंवा दें, जो फीस देने में सहज न हों।

सवाल जवाब

‘उत्पाद, विस्तार से होगी एनएसई की वृद्धि’

नैशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यवाहिकारी **आशिषकुमार चौहान** ने **सुखाश्व** तिवारी और **केरवी लुका** के साथ बातचीत में कहा कि एक्सचेंज की वृद्धि का अगला चरण नए उत्पाद, नए बाजारों में विस्तार और तकनीक व इन्फ्रास्ट्रक्चर में निवेश से आएगा। बातचीत के संपादित अंश:

एनएसई के लिए वृद्धि के अगले मोके क्या हैं ?

अगर बाजार अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो वॉल्यूम में बड़ी बढ़ोतरी हो सकती है। पिछले तीन सालों से बाजार में कोई खास हलचल नहीं है, यह एक वजह है। दूसरी वजह उन इंस्ट्रुमेंट्स की संख्या है, जिन्हें हम पेश कर सकते हैं। बिजली ऐसा ही एक क्षेत्र है, बॉन्ड इंडेक्स पर बातचीत चल रही है और इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स (ईजीआर) की पहले ही शुरुआत हो चुकी है। सेबी कई नए प्रोडक्ट को मंजूरी दे रहा है। एक एक्सचेंज के तौर पर हम खुद से कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना का फैसला नहीं ले सकते। हमें सेबी के पास जाना होता है, जो नियम बनाने और प्रोडक्ट को मंजूरी देने से पहले हितधारकों से सलाह-मशविरा करता है। नए प्रोडक्ट तब आएंगे, जब एक अच्छी तरह से काम करने वाले बाजार में ट्रेड के लिए उनका जरूरत होगी। एनएसई को अलग-अलग तरह के बाजारों का अनुभव है, मसलन आईपीओ और म्युचुअल फंडों से लेकर इक्विटी और इक्विटी डेरिवेटिव जैसे हाई-फ्रीक्वेंसी बाजारों तक। हम जानते हैं कि बाजार को कैसे बनाया जाए, लिक्विडिटी कैसे बढ़ाई जाए और उन्हें कुशल, निष्पक्ष, पारदर्शी और व्यवस्थित कैसे बनाया जाए।

डेरिवेटिव के क्षेत्र में एनएसई के लिए वृद्धि के क्या मोके हैं, खासकर तब जबकि नियामक इस सेगमेंट की समीक्षा कर रहा है ?

डेरिवेटिव बाजार इकोसिस्टम का एक अहम हिस्सा हैं और एनएसई के पास इक्विटी और इक्विटी डेरिवेटिव जैसे हाई-फ्रीक्वेंसी मार्केट बनाने और चलाने का अनुभव है। मुख्य मकसद यह पक्का करना है कि इन बाजारों में पर्याप्त लिक्विडिटी हो और ये कुशल, निष्पक्ष, पारदर्शी और व्यवस्थित हों। साथ ही, डेरिवेटिव बाजार का विकास नियामकीय ढांचे और उन प्रोडक्ट पर निर्भर करेगा, जिन्हें शुरू करने की इजाजत सेबी एक्सचेंजों को देती है। एनएसई अकेले अपने दम पर प्रोडक्ट लॉन्च नहीं कर सकता, उन्हें नियामकीय प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। व्यापक तौर पर देखें तो मौका उन बाजारों का दायरा बढ़ाने का है, जिन्हें ऑटोमेट किया जा सके और कुशल मार्केट इन्फ्रास्ट्रक्चर पर लाया जा



सके। इक्विटी, बॉन्ड, ईजीआर, एनजी और कर्मोडिटीज के साथ मिलकर डेरिवेटिव इस बड़े मार्केट इकोसिस्टम का हिस्सा होते हैं।

गैर-कृषि ज़िंस डेरिवेटिव में एफपीआई की भागीदारी की इजाजत देने के सेबी के फैसले से एनएसई को क्या फायदा होगा ?

एनएसई की पहले ही शुरुआत हो चुकी है। सेबी कई नए प्रोडक्ट को मंजूरी दे रहा है। एक एक्सचेंज के तौर पर हम खुद से कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना का फैसला नहीं ले सकते। हमें सेबी के पास जाना होता है, जो नियम बनाने और प्रोडक्ट को मंजूरी देने से पहले हितधारकों से सलाह-मशविरा करता है। नए प्रोडक्ट तब आएंगे, जब एक अच्छी तरह से काम करने वाले बाजार में ट्रेड के लिए उनका जरूरत होगी। एनएसई को अलग-अलग तरह के बाजारों का अनुभव है, मसलन आईपीओ और म्युचुअल फंडों से लेकर इक्विटी और इक्विटी डेरिवेटिव जैसे हाई-फ्रीक्वेंसी बाजारों तक। हम जानते हैं कि बाजार को कैसे बनाया जाए, लिक्विडिटी कैसे बढ़ाई जाए और उन्हें कुशल, निष्पक्ष, पारदर्शी और व्यवस्थित कैसे बनाया जाए।

डेरिवेटिव के क्षेत्र में एनएसई के लिए वृद्धि के क्या मोके हैं, खासकर तब जबकि नियामक इस सेगमेंट की समीक्षा कर रहा है ?

डेरिवेटिव बाजार इकोसिस्टम का एक अहम हिस्सा हैं और एनएसई के पास इक्विटी और इक्विटी डेरिवेटिव जैसे हाई-फ्रीक्वेंसी मार्केट बनाने और चलाने का अनुभव है। मुख्य मकसद यह पक्का करना है कि इन बाजारों में पर्याप्त लिक्विडिटी हो और ये कुशल, निष्पक्ष, पारदर्शी और व्यवस्थित हों। साथ ही, डेरिवेटिव बाजार का विकास नियामकीय ढांचे और उन प्रोडक्ट पर निर्भर करेगा, जिन्हें शुरू करने की इजाजत सेबी एक्सचेंजों को देती है। एनएसई अकेले अपने दम पर प्रोडक्ट लॉन्च नहीं कर सकता, उन्हें नियामकीय प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। व्यापक तौर पर देखें तो मौका उन बाजारों का दायरा बढ़ाने का है, जिन्हें ऑटोमेट किया जा सके और कुशल मार्केट इन्फ्रास्ट्रक्चर पर लाया जा

आरबीआई के कदमों का असर

प्रोप्राइटी ट्रेडिंग वॉल्यूम पर पड़ा है। आप इसे कैसे देखते हैं ?

जब नियामक किसी खास गतिविधि में कोई समस्या देखते हैं तो वे ऐसे कदम उठाते हैं, जिन्हें वे सही समझते हैं। इसका मकसद किसी कंपनी को नुकसान पहुंचाना या उसके वॉल्यूम कम करना नहीं है। इसका मकसद बैंकिंग सिस्टम की विश्वसनीयता को बनाए रखना हो सकता है। अहम बात यह है कि ऐसा ढांचा बनाया जाए, जिससे कंपनियां उन जरूरतों के दायरे में रहकर अपना कामकाज जारी रख सकें।

क्षमता और तकनीक में निवेश के लिए एनएसई की क्या योजनाएं हैं ?

एनएसई पूंजीगत खर्च का हिसाब-किताब करने में सावधानी बरतता है क्योंकि उसका ज्यादातर निवेश मानव संसाधन और सॉफ्टवेयर में होता है। इसे पूंजीकृत करने के बजाय खर्च माना जाता है। एक मार्केट इन्फ्रास्ट्रक्चर संस्थान और पहले स्तर के नियामक के तौर पर उसे ज्यादा मुनाफा दिखाने को लेकर भी सावधान रहने की जरूरत है। को-लोकेशन की मांग अभी भी मजबूत बनी हुई है। एनएसई के पास अभी लगभग 2,200 रैक हैं और हर महीने 40-50 नई मांगें आ रही हैं। जब मौजूदा क्षमता खत्म होना लगेगी, तो नया डेटा सेंटर बनाने में लगभग तीन साल लगेगे। एनएसई ने जमीन ले ली है और शुरुआती काम हो रहा है।

एनएसई अपने निगरानी ढांचे को कैसे मजबूत कर रहा है, जिसमें ऑटोफिशल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल भी शामिल है ?

एआई एक और टूल है, जिसका परीक्षण एनएसई कर रहा है। नए टूल्स को टेस्ट किया जाता है और उनके असर का आकलन किया जाता है। समय के साथ सिस्टम बनता है। निगरानी एक अहम जिम्मेदारी है। एनएसई के लगभग आधे कर्मचारी नियामकीय कामों में लगे हैं और एक्सचेंज नियामक के तौर पर अपनी भूमिका को गंभीरता से लेता है। एनएसई के लिए बड़े मोके क्या हैं ? मकसद ऐसा बाजार बनाना है, जो निष्पक्ष, कुशल, पारदर्शी, व्यवस्थित और कम लागत वाला हो। एनएसई ने बाजार के मुख्य हिस्से को कवर किया है। इसमें इक्विटी, बॉन्ड, रीट्स, इन्विट्स और डेरिवेटिव शामिल हैं। लेकिन ऑटोमेशन से उन बाजारों में विस्तार करने में मदद मिल सकती है, जो अभी अच्छी तरह से विकसित नहीं हैं। उदाहरण के लिए, बिजली वायदा से कीमतों में पारदर्शिता और दक्षता बेहतर हो सकती है। इसी तरह, फिजिकल गोल्ड को ईजीआर में बदलने से स्वर्ण के आधार पर उधारी आसान हो सकती है, क्योंकि इससे लेनदार को रखे गए सोने की मात्रा का पता चल सकता है।

पीबी फिनटेक में गिरावट से फंडों को 11,000 करोड़ रुपये की चोट

पिछले दो कारोबारी सत्र में पीबी फिनटेक के शेयरों में भारी गिरावट के कारण म्युचुअल फंड (एमएफ) निवेशकों को लगभग 11,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। प्राइम डेटाबेस के अनुसार अगस्त के आखिर में म्युचुअल फंडों के पास पीबी फिनटेक के कुल 15.15 करोड़ शेयर थे। मंगलवार के कारोबारी सत्र के आखिर में इन शेयरों की वैल्यू 28,561 करोड़ रुपये थी, जो पिछले दो कारोबारी सत्रों में करीब 38 फीसदी गिरकर 10,914 करोड़ रुपये रह गई है।

ऑनलाइन बीमा योजनाओं की यह वितरक उन कंपनियों में शामिल है, जिनमें म्युचुअल फंडों की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है। अगस्त के आखिर तक कुल शेयर पूंजी का 33 फीसदी हिस्सा म्युचुअल फंडों के पास था। अगस्त 2026 तक 329 ऐक्टिव और पैसिव योजनाओं के पास ये शेयर

डिजिटल, बैंकिंग फंडों को सबसे ज्यादा झटका

योजना	निवेश * (%)
मोतीलाल ओसवाल डिजिटल इंडिया फंड	6.9
फ्रैंकलिन इंडिया टेक्नॉलजी फंड	5.5
ऐक्सिस सर्विसेज ऑपरच्युनिटीज फंड	5.1
डीएसपी बैंकिंग ऐंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड	5.0
एलआईसी एमएफ बैंकिंग ऐंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड	4.9
क्वाइटऑक कैपिटल डिजिटल भारत फंड	4.8
टाटा बैंकिंग ऐंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड	4.6
सुंदरम बिजनेस साइकल फंड	4.3
टाटा डिजिटल इंडिया फंड	4.2
यूटीआई इन्वेषेशन फंड	4.2
*स्क्रीन द्वारा प्रबंधित कुल परिसंपत्तियों का शुद्ध भाग स्रोत: प्राइम डेटाबेस। 31 अगस्त, 2026 तक के आंकड़े	

थे। म्युचुअल फंडों में एचडीएफसी मिडकैप फंड, एचडीएफसी फ्लेक्सीकैप फंड, फिरे ऐसेट लार्ज ऐंड मिडकैप फंड, मोतीलाल ओसवाल मिडकैप फंड और फिरे

ऐसेट इंग्लएसएस टैक्स सेवर फंड के पास इस कंपनी के सबसे ज्यादा शेयर थे। अगस्त के आखिर तक उनकी होल्डिंग की मार्केट वैल्यू 1,835 करोड़ रुपये से 865

करोड़ रुपये के बीच थी।

एचडीएफसी एमएफ ने गुरुवार को बाजार में गिरावट के दौरान कंपनी में 321 करोड़ रुपये का निवेश करके अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। प्रबंधनाधीन शुद्ध परिसंपत्तियों के प्रतिशत के हिसाब से सेक्टर और थीम-बेस्ड फंडों का इसमें सबसे ज्यादा निवेश था। 31 अगस्त, 2026 तक मोतीलाल ओसवाल डिजिटल इंडिया फंड की परिसंपत्तियों का 6.9 फीसदी हिस्सा इस कंपनी में निवेशित है। फ्रैंकलिन इंडिया टेक्नॉलजी फंड का निवेश 5.5 फीसदी था। इसके बाद ऐक्सिस सर्विसेज ऑपरच्युनिटीज फंड (5.1 फीसदी) का स्थान है। बीमा नियामक आईआरडीआई की ओर से बीमा वितरण नियमों में बदलाव के प्रस्ताव के कारण पीबी फिनटेक के शेयरों में पिछले दो सत्रों में 38 फीसदी की गिरावट आई है।

-अभिषेक कुमार

PUBLIC ANNOUNCEMENT

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT AND DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES. NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION DIRECTLY OR INDIRECTLY OUTSIDE INDIA.



hitbullseye®

(Please scan the QR code to view the DRHP)

BULLS EYE KNOWLEDGE SYSTEM LIMITED

Our Company was incorporated as a private limited company under the Companies Act, 1956, pursuant to a certificate of incorporation dated March 13, 2013 issued by the Registrar of Companies, Punjab and Chandigarh at Chandigarh. Subsequently, pursuant to a resolution passed by our Board of Directors in their meeting held on June 30, 2024 and by our Shareholders in an Extraordinary General Meeting held on June 30, 2024, our Company was converted into a public limited company, consequently our name was changed to "Bulls Eye Knowledge System Limited" and a fresh certificate of incorporation dated September 25, 2024 was issued by the Registrar of Companies, Central Processing Centre. The corporate identification number of our Company is U80903CH2013PLC034370. For further details of change in name and registered office of our company please refer to the chapter titled, "History and Certain Corporate Matters" on page 196 of the Draft Red Herring Prospectus.

Registered Office: SCO 91-92 Front Portion, Second Floor Sector 8-C, Chandigarh, 160 009 India | **Tel:** +91 623 950 0393.
Corporate Office: Plot No E-305, Phase 8A, Industrial Area Focal Point S.A.S. Nagar, Mohali - 160 055, Punjab, India. | **Tel:** +91 842 200 0037
Website: www.hitbullseye.com | **E-mail:** cs@hitbullseye.com | **Corporate Identity Number:** U80903CH2013PLC034370
Contact Person: Srishti, Company Secretary and Compliance Officer

PROMOTERS OF OUR COMPANY: HIRDESH MADAN, DEEPAK KUMAR, AND SANJAY KUMAR

INITIAL PUBLIC OFFER OF UPTO 20,00,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10/- EACH ("EQUITY SHARES") OF BULLS EYE KNOWLEDGE SYSTEM LIMITED ("OUR COMPANY") FOR CASH AT A PRICE OF ₹ [●] PER EQUITY SHARE (INCLUDING SHARE PREMIUM OF ₹ [●] PER EQUITY SHARE) ("ISSUE PRICE"), AGGREGATING UP TO ₹ [●] LAKHS COMPRISING A FRESH ISSUE OF UPTO [●] EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹ [●] LAKHS BY OUR COMPANY (THE "ISSUE") WILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTION BY THE MARKET MAKER TO THE ISSUE (THE "MARKET MAKER RESERVATION PORTION"). THE ISSUE LESS MARKET MAKER RESERVATION PORTION I.E. NET ISSUE OF UPTO [●] EQUITY SHARES AT AN ISSUE PRICE OF ₹ [●] PER EQUITY SHARE AGGREGATING UP TO ₹ [●] LAKHS IS HEREINAFTER REFERRED TO AS THE "NET ISSUE". THE ISSUE AND NET ISSUE WILL CONSTITUTE [●]% AND [●]%, RESPECTIVELY OF THE POST-ISSUE PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY.

ATTENTION PUBLIC

This is to inform that the Company has filed Draft Red Herring Prospectus (DRHP) dated September 24, 2026, with the SME platform of the BSE Limited (BSE SME), on September 25, 2026, in respect of the proposed IPO of the Company in accordance with Chapter IX of the SEBI ICDR Regulations, 2018 (IPO of Small and Medium Enterprises).

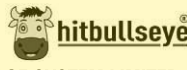
This public announcement is made in compliance with the Regulation 247(2) of the SEBI ICDR Regulations, 2018, which requires the draft offer document shall be made available to the public for comments, if any, for a period of at least 21 days, from the date of such filing by hosting it on the website of the exchange, the Issuer and the BRLM. Accordingly, it may be noted that the DRHP dated September 24, 2026 filed by the Company is hosted on the website of the BSE at www.bseindia.com, and the website of the Company at www.hitbullseye.com, and at the website of BRLM i.e. Horizon Management Private Limited at www.horizonmanagement.in. Our Company hereby invites the members of the public to give their comments to Stock Exchange, to Company Secretary and Compliance Officer of our Company and /or the BRLM at their respective addresses mentioned below. All comments must be received by BSE SME and/or our Company and/or BRLM in relation to the issue on or before 5 p.m. on the 21st day from the aforesaid date of filing the Draft Red Herring Prospectus (i.e. September 25, 2026) with SME Platform of the BSE Limited (BSE SME).

Investments in equity and equity-related securities involve a degree of risk and investors should not invest any funds in this Offer unless they can afford to take the risk of losing their entire investment. Investors are advised to read the risk factors carefully before taking an investment decision in this Offer. For taking an investment decision, investors must rely on their own examination of our Company and this Offer, including the risks involved. The Equity Shares have not been recommended or approved by the SEBI, nor does SEBI guarantee the accuracy or adequacy of the contents of this DRHP. Specific attention of the investors is invited to the section titled "Risk Factors" beginning on page 24 of the Draft Red Herring Prospectus.

Any decision to invest in the Equity Shares described in the DRHP may only be taken after the Red Herring Prospectus (RHP) has been filed with the RoC and must be made solely on the basis of such RHP as there may be material changes in the RHP from the DRHP. The Equity Shares, when offered through the Prospectus, are proposed to be listed on the BSE SME.

For details of the main objects of the Company as contained in its Memorandum of Association, please refer to the section titled "Our History and Certain other Corporate Matters" beginning on page 194 of the Draft Red Herring Prospectus. The liability of the members of the Company is limited. For details of the share capital and capital structure of the Company and the names of the signatories to the Memorandum of Association and the number of shares subscribed by them, please refer to the section titled "Capital Structure" beginning on page 77 of the Draft Red Herring Prospectus.

BOOK RUNNING LEAD MANAGERS	REGISTRAR TO THE OFFER
 HORIZON MANAGEMENT PRIVATE LIMITED 19 R N Mukherjee Road, Main Building, 2nd Floor, Kolkata - 700 001, West Bengal, India. Telephone: +91 33 4600 0607 E-mail: smeipo@horizon.net.co Website: www.horizonmanagement.in Investor grievance: investor.relations@horizon.net.co SEBI Registration Number: INM000012926 Contact Person: Narendra Bajaj	 MAASHITLA SECURITIES PRIVATE LIMITED 451, Krishna Apra Business Square, Netaji Subhash Place, Pitampura - 110034, Delhi, India Tel: 114 758 1432 Email: ipo@maashitla.com Website: www.maashitla.com Investor Grievance Email ID: investor.ipo@maashitla.com SEBI registration number: INR000004370 Contact Person: Mukul Agrawal



BULLS EYE KNOWLEDGE SYSTEM LIMITED
Srishti, Company Secretary and Compliance Officer
SCO 91-92 Front Portion, Second Floor Sector 8-C, Chandigarh - 160 009, India. | **Tel. No.:** +91 623 950 0393
Email: cs@hitbullseye.com | **Website:** www.hitbullseye.com

Investors can contact our Company Secretary and Compliance Officer, Book Running Lead Manager or Registrar to the Issue, in case of any pre issue or post issue related problems, such as non- receipt of letter of allotment, non- credit of allotted Equity shares in the respective beneficiary account, non-receipt of refund orders and non-receipt of funds by electronic mode etc.

All capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the DRHP.

For **BULLS EYE KNOWLEDGE SYSTEM LIMITED**
On behalf of the Board of Directors
Sd/-
Srishti
Company Secretary and Compliance Officer

Bulls Eye Knowledge System Limited is proposing, subject to, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make an initial public issuance of its Equity Shares and has filed the DRHP dated September 24, 2026 with BSE SME. The DRHP shall be available on the website of the BSE at www.bseindia.com, and the website of the Company at www.hitbullseye.com, and at the website of BRLM i.e. Horizon Management Private Limited at www.horizonmanagement.in., respectively. Any potential investor should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to such risk, please see "Risk Factors" of the RHP, when available. Potential investors should not rely on the DRHP for making any investment decision. Specific attention of the investors is invited to "Risk Factors" beginning on page 24 of the DRHP.

The Equity Shares offered in the Issue have not been and will not be registered under the United States Securities Act of 1933, as amended ("U.S. Securities Act") or any state securities laws in the United States, and unless so registered, may not be offered or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the U.S. Securities Act and in accordance with any applicable U.S. state securities laws. Accordingly, the Equity Shares are being offered and sold outside the United States in "offshore transactions" in reliance on Regulation S under the U.S. Securities Act and the applicable laws of the jurisdictions where such offers and sales are made. The Equity Shares have not been and will not be registered, listed or otherwise qualified in any other jurisdiction outside India and may not be offered or sold, and Bids may not be made by persons in any such jurisdiction, except in compliance with the applicable laws of such jurisdiction.

AdBaaZ

More Newspapers and Magazines join telegram https://t.me/NewsTG8 (@NewsTG8)